देवेन्द्र सिंह चौहान,
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र सं0 - 09 /2023

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश
पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ-226010
दिनांकः मार्च 02, 2023

विषयः रिट (सी) संख्या-29605/2022 बासु यादव बनाम भारत संघ व 4 अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 16.12.2022 के अनुपालन में पासपोर्ट आवेदन पत्र के पुलिस सत्यापन हेतु दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदया/महोदय,

पारपत्र (Passport) जारी करने हेतु प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्रों के संदर्भ में आवेदकों का पुलिस सत्यापन, सम्बन्धित थाना द्वारा किया जाता है। आवेदक बासु यादव निवासी जनपद आजमगढ़ द्वारा प्रस्तुत पासपोर्ट आवेदन पत्र पर स्थानीय पुलिस द्वारा पासपोर्ट न प्रदान किये जाने की संस्तुति के विरुद्ध योजित सिविल मिस. रिट (सी) संख्या:29605/2022 बासु यादव बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 16.12.2022 में पासपोर्ट आवेदन पत्र सत्यापन के सम्बन्ध में निम्नवत निर्देश दिये गये हैं—

> Having heard learned counsel for the petitioner and learned Standing Counsel and after having gone through the instructions which have been sent by the Director General of Police, the Court is definitely of the view that no non-cognizable report which was registered could be taken into cognizance if no investigation was ordered by the concerned Magistrate. Even though in the instant case, whether the passport can be refused on the basis of the pendency of the criminal case is not the question involved, we are of the view that even during the pendency of any criminal case, passport could be issued/renewed as per the Government Order dated 25.8.1993 if the Court passes orders for that purpose. In the instant case, we do find that the application of the petitioner was rejected on the basis of the two reports of non-cognizable cases namely NCR No.111/2012 and NCR No.114/2018. The Director General of Police has also given his view that the reports with regard to the non-cognizable cases could not be made the basis for rejecting an application for issuance of passport if they had not been investigated into. Under such circumstances, we issue the following directions :-
>
> (1) The passport form of the petitioner for the issuance of a passport be considered within a period of two weeks from the date of presentation of a certified copy of this order before the respondent no.2-Regional Passport Officer, Regional Passport Office, Vipin Khand, Gomti Nagar, Lucknow;
>
> (2) Since we are finding that in quite a few cases the reports of non-cognizable cases in which the concerned Magistrate had not even ordered for investigation were being taken into account for rejection of passport, we issue a direction to the Director General of Police to instruct his officers to give a report with regard to the pendency of reports in noncognizable cases after appropriate and proper application of mind;

(3) Outright the passport applications be not rejected under section 6(2)(f) of the Passports Act if orders of the Court, where the criminal case is pending, have been passed as per the Government Order dated 25.8.1993. The Director General of Police to issue notification in this regard also.

उल्लेखनीय है कि विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपने पत्र संख्या:PMU/Dir.((PV & PSP)/133/11 दिनांक 21.05.2018, पत्र संख्या:VI/401/1/4 /2013 दिनांक 26.10.2018 तथा पत्र संख्या:VI/401/01/04/2013Pt. दिनांक 22.08.2019 (छायाप्रतियाँ संलग्न) के माध्यम से प्रेषित Police verification Report Proforma/Process के अनुसार पारपत्र सत्यापन की कार्यवाही एम-पासपोर्ट ऐप के माध्यम से प्रचलित है। वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत उक्त Police verification Report Proforma में जनपद स्तर से होने वाले सत्यापन का बिन्दु (पार्ट-ए) नागरिकता व आपराधिक क्रियाकलाप के सम्बन्ध में थाना स्तर से ही सत्यापन की कार्यवाही की जा रही है। विदेश मंत्रालय भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-VI/401/1/5/2019 दिनांकित 10.10.2019 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा ऐसे आवेदकों, जिनके विरुद्ध आपराधिक मामलें प्रचलित हैं, को पासपोर्ट जारी किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

उपरोक्त संदर्भ में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 16.12.2022 तथा पासपोर्ट निर्गत किये जाने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों का भलीभाँति अध्ययन करते हुये अपने अधीनस्थों को भी अवगत करायें तथा पासपोर्ट आवेदन पत्रों का सत्यापन करते समय इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। पासपोर्ट आवेदन पत्रों के सत्यापन में पूर्ण सतर्कता बरती जाए तथा आवेदक के सम्बन्ध में थाने के रिकार्ड में उपलब्ध समस्त सूचनाओं के आधार पर ही संस्तुति अंकित की जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि बिना उचित एवं पर्याप्त कारण के यंत्रवत किसी आवेदक के पासपोर्ट आवेदन पत्र को निरस्त करने की संस्तुति न की जाए।

संलग्नक:यथोपरि।

भवदीय,

02/2/2023

(देवेन्द्र सिंह चौहान)

1. पुलिस आयुक्त,
   कमिश्नरेट-लखनऊ/कानपुर/वाराणसी/गौतमबुद्धनगर/आगरा/गाजियाबाद/प्रयागराज।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
   प्रभारी जनपद रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. समस्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
4. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र, उ0प्र0।